

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री राकेश कुमार भादूका पुत्र श्री रमेश चंद शर्मा पता- टांकडा का बास, पंडितपुरा तहसील बसवा जिला दौसा राज0 303313

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा/उपखंड अधिकारी बसवा

अपील संख्या 51/2025

निर्णय

दिनांक 10.07.2025

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा को प्राप्त पत्रादि की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांत को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक:डीएम कोर्ट/2025/1523 दिनांक 11.06.2025 द्वारा पत्र जारी कर अपीलांत को वांछित नकल उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट चाही गई। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा ने पत्र क्रमांक: आर.टी.आई./2025/472 दिनांक 11.6.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना उपखंड अधिकारी बसवा व विकास अधिकारी पंचायत समिति बसवा से संबंधित होने से अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानान्तरित की गई। उपखंड अधिकारी बसवा द्वारा अपीलांत को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। विकास अधिकारी पंचायत समिति बसवा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि उपखंड अधिकारी बसवा द्वारा अपीलांत को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी बसवा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांत को वांछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

